# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 97/2017**
रोहिताश मीना

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
3. देवी सहाय शर्मा, कनिष्ठ सहायक, हाल पदस्थापित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निहालपुरा, दौसा।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 08.07.2024

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलवीर सिंह, प्रभारी अधिकारी

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति हुई थी। अपीलार्थी ने सेवाएं दिनांक 31.03.1987 को नियुक्त की थी। निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 देवी सहाय शर्मा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में वर्ष 1986 में नियुक्त हुआ था, जिनकी सेवाएं वर्ष 1995 में स्थाई की गई थी, परंतु निजी प्रत्यर्थी की सेवाएं वर्ष 1986 से गिनी जाकर उन्हें वयिरता सूची में 115 ए पर रखा गया एवं अपीलार्थी से पूर्व निजी प्रत्यर्थी को पदोन्नति प्रदान की गई, जो गलत है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित है कि निजी प्रत्यर्थी को वरिष्ठता गलत दी गई थी, जिसे विलापित कर दिया गया है। अपीलार्थी को कार्यालय आदेश दिनांक 18.10.2017 को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.10.2017 के द्वारा जिस पदोन्नति का लाभ दिया गया है, वह वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 देवी सहाय शर्मा को जिस वर्ष (2013–14) की रिक्तियों के विरूद्ध

पदोन्नति का लाभ दिया गया था, उसे विलोपित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी उक्त वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ पाने का अधिकारी है। हम अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क से पूर्णतः सहमत है। अपीलार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 24.02.2015 के द्वारा देवी सहाय शर्मा को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया था। आदेश दिनांक 24.02.2015 में अंतिम चयनित व्यक्ति मनोज कुमार मौर्य है। इसके पश्चात वरियता सूची में अपीलार्थी का नाम था, परंतु उसे पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि सूची में एक अतिरिक्त नाम देवी सहाय शर्मा का जुड़ा हुआ था। हम पाते हैं कि देवी सहाय शर्मा का नाम पदोन्नति सूची दिनांक 24.02.2015 में से विलोपित किये जाने पर पदोन्नति का लाभ दिये जाने के लिये रिक्त पद उपलब्ध हुआ था, जिस पद पर अपीलार्थी पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिये जाने के लिये अपीलार्थी के सम्बन्ध में रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाए। यदि अपीलार्थी नियमानुसार पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है तो अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**